

सं डी-26018/3/2007-प्रशासन III (खण्ड)

भारत सरकार  
शहरी विकास मंत्रालय

कमरा नं 209 'सी' विंग,  
निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड,  
नई दिल्ली-110011

दिनांक 29 जुलाई, 2010

### शुद्धिपत्र

इस मंत्रालय के दिनांक 15.7.2010 के पत्र सं. डी-26018/3/2007- प्रशा. III (खण्ड-) में आंशिक संशोधन करते हुए यह सूचित किया जाता है कि उपर्युक्त पत्र के पैरा 3 (ix) में उल्लेखित बयाना राशि जमा (ईएमडी) को 10,000/- रुपए (केवल दस हजार रुपए) के बजाय 1,50,000/- रुपए (केवल एक लाख पचास हजार रुपए) पढा जाए।

(जितेंद्र कुमार)

अवर सचिव

(प्रशासन)

दूरभाष संख्या: 23061426